न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 415 / 2018

अपीलाण्टस	बनाम	रेस्पान्डेन्ट
1 चम्पालाल पुत्र धोकलराम 2 उरजाराम पुत्र धोकलराम 3– चैनाराम पुत्र धोकलराम जातियान माली (कच्छवाहा) निवासी रिया तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर		1– लुम्बाराम पुत्र हापुराम जाति माली निवासी रिया, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाडशहर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर जो प्रकरण संख्या 800 / 2018 मे दिनांक 24–5–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री एस.एल.सांखला अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26 –03–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपाडशहर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1900, 1970, 1979 एवं 1980 की कुल 47.12 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार अनाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली था । उक्त खातेदार अनाराम के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 1873 उनके चार पुत्र धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल तथा उसके पूर्व मृत पुत्र हापुराम के पुत्र लुम्बाराम का नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया परंतु उक्त नामांतरकरण की जमावंदी मे इन्द्राज करते समय धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल पि0 अनाराम दर्ज हो गया तथा लुम्बाराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) का नाम दर्ज करने से छूट गया । तत्पश्चात जमाबंदी के इन्द्राजो के आधार पर शेष 2/3 भाग के सहखातेदारो एवं अनाराम के 4 पुत्रो के बीच सम्पूर्ण भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हो गया तथा विभाजन के अनुसार नामांतरकरण संख्या 2895 भी स्वीकृत हो गया । जिसके अनुसार खसरा नंबर 1979 एवं 1980 धोकलराम व रूघाराम के पक्ष मे रिलीज कर दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 3310 स्वीकृत हुआ । उसके पश्चात धोकलराम फोत हो गया तो उसके विरासत का नामांतरकरण संख्या 5054 उनके

वारिसान के नाम से (वर्तमान अपीलांटगण एवं मृतक धोकलराम की पुत्रियो के नाम) स्वीकृत हुआ तथा स्व0 धोकलराम की पुत्रियो ने अपने भाईयो (वर्तमान अपीलांटगण) के पक्ष मे अपना हक रिलीज कर दिया तथा वर्तमान मे उक्त भूमि ग्राम पीपाडशहर के खाता संख्या 520 जमाबंदी मे दर्ज है ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम ने राजस्व अभियान मे एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–5–2018 को उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका नाम म्युटेशन संख्या 1873 मे मृतक अनाराम के पुत्रो के साथ दर्ज था परंतु जमाबंदी मे इन्द्राज के दौरान उसका नाम दर्ज करने से छूट गया इसलिए उसका भी नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर ने रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर बिना राजस्व रेकर्ड की जांच करवाये दिनांक 24–5–2018 को ही यह आदेश पारित कर दिया कि खाता संख्या 520 मे लुम्बाराम पुत्र हापुराम का नाम दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथा अपील मीमो मे वर्णित कथनो के समर्थन मे अपील के साथ फार्म नंबर 3 की ओर प्रस्तुत दस्तावेजो जिसमे जमाबंदी संवत 2052–56 तक खसरा नंबर 1979 एवं 1900 गांव पीपाडशहर जिसमे किये गये इन्द्राज एवं हकतर्कनामा दिनांक 5–7–2016 आदि की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया तथा अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को बहुत ही जल्दबाजी मे तथा राजस्व रेकर्ड मे किये गये इन्द्राजो की जांच करवाये बिना शार्ट कट रास्ता अपनाते हुए पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1900, 1970, 1979 एवं 1980 मे स्व0 खातेदार अनाराम का 1/3 हिस्सा था तथा उसके फोत होने पर स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 1873 उसके 1/3 हिस्से की खातेदारी के संबंध मे था जो उसके पांच वारिसान मे निहित हुआ । वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि राजस्व रेकर्ड मे उक्त नामांतरकरण अनुसार इन्द्राज करने मे कोई त्रुटि होना माना जावे तो उक्त नामांतरकरण की स्वीकृति के समय पक्षकारान की जो स्थिति थी, उसी के अनुसार इन्द्राज दुरस्ती का आदेश दिया जा सकता था परंतु जो अपीलाधीन आदेश मे खाता संख्या 520 मे अपीलांटगण के साथ रेस्पो0 लुम्बाराम का नाम दर्ज करने का आदेश दिया ही नही जा सकता था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

यदि म्युटेशन संख्या 1873 मंगवाकर अवलोकन कर लेते तो ऐसा आदेश पारित ही नही होता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय को अवगत कराया कि खाता संख्या 520 मे अपीलार्थीगण के साथ रेस्पो0 सख्या 1 लुम्बाराम का नाम दर्ज करने से यह स्थिति मे स्व0 अनाराम का सम्पूर्ण भूमि मे 1/3 हिस्सा था तो रेस्पो0 संख्या 1 का हिस्सा यदि माना भी जावे तो सम्पूर्ण भूमि मे 1/15 से अधिक नही हो सकता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का बिल्कुल गलत व मनमाना अर्थ निकाला है तथा ऐसे जटिल बिन्दुओ का निर्णय केवल नियमित वाद की कार्यवाही मे ही किया जा सकता है इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–2018 कानून की नजर मे कोई आदेश नही होने उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–5–2018 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार अनाराम था तथा अनाराम के पांच पुत्र कमशः धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम, मिश्रीलाल व हापुराम थे परंतु हापुराम का देहांत खातेदार अनाराम के जीवनकाल मे ही हो गया था तथा खातेदार अनाराम के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 1873 मे उनके चार पुत्र धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल तथा मृत पुत्र हापुराम के पुत्र लुम्बाराम वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया परंतु उक्त नामांतरकरण की प्रविष्टि जमाबंदी संवत 2039 से 2042 मे करते समय केवल 4 पुत्रों धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल पि0 अनाराम का ही नाम दर्ज किया गया तथा लुम्बाराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) का नाम दर्ज होने से छूट जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिविर प्रभारी पीपाडशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी, आई.एल.आर. की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड की जांच करवाने के बाद ग्राम पीपाडशहर की जमाबंदी संवत 2066–71 मे खाता संख्या 520 मे रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम पुत्र हापूराम का नाम दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मृत खातेदार अनाराम के विधिक वारिसान मे से एक विधिक वारिस रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम पुत्र हापूराम का नाम जमाबंदी मे दर्ज होने से छूट जाने पर उसे दुरस्त करने बावत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू अभिलेख की रिपोर्ट एवं रेकर्ड की जांच करवाने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन आदेश आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया ।

ग्राम पीपाडशहर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1900, 1970, 1979 एवं 1980 की कुल 47.12 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार अनाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 1873 उनके चार पुत्र धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल तथा उसके पूर्व मृत पुत्र हापुराम के पुत्र लुम्बाराम का नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया परंतु उक्त नामांतरकरण की प्रविष्टि का जमाबंदी संवत 2039 से 2042 मे इन्द्राज करते समय मृतक के चार पुत्रो धोकलराम, रूघाराम, झुमरराम व मिश्रीलाल पि0 अनाराम दर्ज हो गया परंतु लुम्बाराम पुत्र हापूराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) का नाम दर्ज करने से छूट गया । तत्पश्चात जमाबंदी के इन्द्राजो के आधार पर शेष 2/3 भाग के सहखातेदारो एवं अनाराम के 4 पुत्रो के बीच सम्पूर्ण भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हो गया तथा विभाजन के अनुसार नामांतरकरण संख्या 2895 भी स्वीकृत हो गया । जिसके अनुसार खसरा नंबर 1979 एवं 1980 धोकलराम व रूघाराम के पक्ष मे रिलीज कर दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 3310 स्वीकृत हुआ । उसके पश्चात धोकलराम फोत हो गया तो उसके विरासत का नामांतरकरण संख्या 5054 उनके वारिसान के नाम से (वर्तमान अपीलांटगण एवं मृतक धोकलराम की पुत्रियो के नाम) स्वीकृत हुआ तथा स्व0 धोकलराम की पुत्रियो ने अपने भाईयो (वर्तमान अपीलांटगण) के पक्ष मे अपना हक रिलीज कर दिया तथा वर्तमान मे उक्त भूमि ग्राम पीपाडशहर के खाता संख्या 520 जमाबंदी मे दर्ज है । अथार्त म्युटेशन संख्या 1873 अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 को मृत खातेदार अनाराम के 1/3 हिस्से की खातेदारी मे से रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम पुत्र हापूराम का 1/15वां हिस्सा बनता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय शिविर प्रभारी के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 24–5–2018 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर पटवारी

हल्का एव निरीक्षक भू अभिलेख की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन भूमि के सबंध मे अपील मीमो मे वर्णित अनुसार सम्पन्न हुई समस्त कार्यवाही एवं उसके कम मे राजस्व रेकर्ड मे हुए इन्द्राजात आदि का परीक्षण करवाये बिना उसी दिन शिविर मे अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वर्तमान जमाबंदी संवत 2066 से 2071 के खाता संख्या 520 मे रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम पुत्र हापुराम का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

वर्तमान मामले मे चूँकि अपीलाधीन भूमि के सह खातेदारो के बीच विभाजन होकर उसके आधार पर म्युटेशन संख्या 2895 स्वीकृत हो चुका था तथा उसके पश्चात अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1979 एवं 1980 के खातेदारो की ओर से अन्य खातेदारो के पक्ष मे अपना हक तर्क कर दिया तथा उसका म्युटेशन संख्या 3310 स्वीकृत हो गया तथा खातेदार धोकलराम के फोत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 5054 उसके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका था अथार्त राजस्व रेकर्ड मे इतने परिवर्तन हो जाने के बाद ऐसे जटिल बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मानते हुए सीधे खाता संख्या 520 मे रेस्पो0 संख्या 1 लुम्बाराम पुत्र हापुराम का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया,जो समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–5–2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे खातेदारो के बीच हुई विभाजन की कार्यवाही, अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित हकतर्कनामे एवं खातेदार के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम स्वीकृत हुए नामांतरकरण एवं सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड आदि गहनता से अध्ययन कर रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें, जिसमे यदि किसी प्रविष्ठि मे संशोधन होता है तो उसमे विधिवत हिस्सा भी अंकित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–3–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर